संख्या–63 /XVI-2/10/7(17)/2009

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
भेषज विकास इकाई,
देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांक 18 फरवरी,2010

विषयः–वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की योजना–0309–सहकारी जड़ी–बूटी योजना में सम्भावित बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1356/लेखा/पुर्नविनियोग/2009–10,दिनांक–29 दिसम्बर 2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की योजना 0309–सहकारी जड़ी–बूटी योजना के मानक मद क्रमशः 01–वेतन, 19–विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय, 16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु भुगतान तथा 17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के दृष्टिगत सन्दर्भित योजना के ही उप मानक मदों क्रमशः 03–मंहगाई भत्ता, 06–अन्य भत्ता, 26–मशीने व साज–सज्जा व्यय, 45–अवकाश यात्रा व्यय, 46–कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय तथा 18–प्रकाशन में उपलब्ध बचतों से **कुल रू0–1150 हजार (रू0 ग्यारह लाख पचास हजार मात्र)** का पुनर्विनियोग **संलग्न बी0एम0–15** के अनुसार करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन/आवंटन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–515(1)/XXVII(1)/2009, दिनांक–28 जुलाई,2009 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(4) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

.....2/–

(6) व्यय की सूचना प्रपत्र बी0 एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(7) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय, ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनेत्तर 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–0309–सहकारी जड़ी–बूटी योजना के सुसंगत उप मानक मदों के नामे निम्नानुसार डाला जायेगा तथा **संलग्न बी0एम0–15 (पुनर्विनियोग विवरण पत्र)** के **कॉलम–01** की बचतों से वहन किया जायेगा :–

(रू0 हजार में)

0309–सहकारी जड़ी–बूटी योजना

01–वेतन–	**750**
19–विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय–	**50**
16–व्यावसायिक एवं विशेष सेवा हेतु भुगतान	**100**
17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	**250**
योग–	**1150**

(10) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–205(N.P)/वित्त अनु0–4/2009, दिनांक–17फरवरी,2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या–63 /XVI-2/10/7(17)/2009,तददिनांकः

प्रतिलिपिः–**निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा,देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन।
4. बजट राजकोषीय,नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-63 /xvi-2-10/7(17)/09 दिनांक- 18 फरवरी,2010 का संलग्नक।

बी0एम0-15 पुनर्विनियोग विवरण पत्र (2009-10)

नियंत्रक अधिकारी- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड,

प्रशासकीय विभाग-उद्यान एवं रेशम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

अनुदान सख्या-29 (आयोजनेत्तर से आयोजनेत्तर)

(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मद्वार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि हेतु अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2401-फसल कृषि कर्म				2401-फसल कृषि कर्म			(क) संगत मदों में प्राविधानित धनराशि आवश्यकता से अधिक होने के कारण इसमें से पुर्नवि0 किया जा रहा है। (ख) बचतों की उपलब्धता एवं आवश्यकता होने के कारण।
00-आयोजनेत्तर				00-आयोजनेत्तर			
119-बागवानी एवं सब्जियों की फसलें				119-बागवानी एवं सब्जियों की फसलें			
0309-सहकारी जड़ी-बूटी योजना			(क)	0309-सहकारी जड़ी-बूटी योजना (ख)			
03-मंहगाई भत्ता 3500	2091	1249	160	01-वेतन 750	14550	3340	
06-अन्य भत्ता 2100	978	532	590			1510	
26-मशीने व साज-सज्जा 50	–	–	50	19-विज्ञापन एवं विख्यापन व्यय 50	75	–	
45-अवकाश यात्रा व्यय 100	–	–	100	16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु भुगतान 100	950	–	
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर कय 450	–	300	150	17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व 250	775	300	
18-प्रकाशन 100	–	–	100				
योग	3069	2081	1150	1150	16350	5150	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोजन में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता है ।

(राजेन्द्र सिंह)

उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त व्यय अनुभाग
संख्या-205(N.P.)/ वित्त अनु0-4/2009
देहरादूनः दिनांकः 17 फरवरी,2010

पुनर्विनियोजन स्वीकृत

डॉ0 एम0 सी0 जोशी
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी)
ओबरॉय बिल्डिंग,
माजरा सहारनपुर रोड़, देहरादून ।

संख्या-63 (1)/xvi-2-2009-9(17)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड ।
2. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
4. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

18/2/2010